पटना में दिनांक–08 जुलाई, 2026 बुधवार को अपराह्न 5:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

ऊर्जा विभाग

1. जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2029–30 तक राज्य के सरकारी/सरकार के अधीन भवनों पर कुल 500 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का Renewable Energy Services Company (RESCO) मोड में अधिष्ठापन की स्वीकृति एवं संबंधित विभागों द्वारा RESCO डेवलपर के साथ सौर ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित ऊर्जा के क्रय हेतु Power Purchase Agreement (PPA) किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

1. **स्वीकृत।**

कृषि विभाग

2. वित्तीय वर्ष 2026–27 में "दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन" योजना अंतर्गत खरीफ, रबी एवं गरमा मौसम में विभिन्न दलहनी फसलों को बढ़ावा देने हेतु कुल 7984.61604 लाख (उनासी करोड़ चौरासी लाख एकसठ हजार छः सौ चार) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

2. **स्वीकृत।**

कृषि विभाग

3. वित्तीय वर्ष 2026–27 में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन {नेशनल ई गवर्नेंस प्लान कृषि (कृषोन्नति योजना)} के अन्तर्गत एग्री स्टैक परियोजना अधीन फार्मर रजिस्ट्री एवं डिजिटल क्रॉप सर्वे हेतु कुल 15400.00 लाख (एक सौ चौवन करोड़) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय के स्वीकृति के संबंध में।

3. **स्वीकृत।**

कृषि विभाग

4. चतुर्थ कृषि रोड मैप के अन्तर्गत खाद्यान्न फसलों एवं वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (कृषोन्नति योजना) के तहत् कुल 4463.438 लाख (चौवालीस करोड़ तिरसठ लाख तैंतालीस हजार आठ सौ) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

4. **स्वीकृत।**

ग्रामीण विकास विभाग

5. महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत गठित सामाजिक अंकेक्षण सोसाइटी को विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत–जी राम जी) अधिनियम, 2025 अंतर्गत अंगीकृत करने एवं विकसित भारत–जी राम जी योजना, बिहार, 2026 का निष्पक्ष, कारगर एवं पारदर्शी तरीके से सामाजिक अंकेक्षण कराने हेतु सामाजिक अंकेक्षण सोसाईटी को अधिकृत करने के संबंध में।

गन्ना उद्योग विभाग

6. बंद मोतीपुर (मुजफ्फरपुर) चीनी मिल की 266 (दो सौ छियासठ) एकड़ जमीन मेसर्स इन्डियन पोटाश लि० (आई०पी०एल०) से वापस लेने हेतु आर्बिट्रेशन न्यायालय एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में मेसर्स इन्डियन पोटाश लि० को भुगतान करने हेतु मो० 63,39,14,958 (तिरसठ करोड़ उनतालीस लाख चौदह हजार नो सौ अनठावन) रूपये व्यय की स्वीकृति।

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

7. राज्य में मत्स्य एवं जलीय कृषि अवसंरचना के योजनाबद्ध विकास, संचालन एवं प्रबंधन हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत "बिहार एक्वॉकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (Bihar Aquaculture Infrastructure and Development Corporation Limited-BAIDCL)" के गठन की स्वीकृति।

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

8. सात निश्चय–2 के तहत नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेन्ट के तहत कॉम्फेड अन्तर्गत बल्क मिल्क कूलर, डाटा प्रोसेसर आधारित दुग्ध संग्रहण इकाई एवं दूध मिलावट जाँच मशीन के स्थापना, जिसमें भारत सरकार का अंशदान द्वारा स्वीकृत कुल परियोजना लागत रूपये 56,88,42,000/–(रूपये छप्पन करोड़ अठासी लाख बयालीस हजार) के आलोक में राज्य सरकार द्वारा रूपये 28,44,21,000/–(रूपये अठाईस करोड़ चौवालीस लाख इक्कीस हजार) मात्र के अंशदान के रूप में कॉम्फेड अन्तर्गत बल्क मिल्क कूलर, डाटा प्रोसेसर आधारित दुग्ध संग्रहण इकाई एवं दूध मिलावट जाँच मशीन के स्थापना की स्वीकृति के संबंध में।

नगर विकास एवं आवास विभाग

9. राज्य में ग्रीनफील्ड सैटेलाईट टाउनशिप के सुनियोजित विकास एवं परियोजनाओं के कार्यान्वयन और अन्य तकनीकी सहायता के लिए सी०ई०पी०टी० (सेंटर फॉर एनवायरनमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी) सलाहकार फाउंडेशन, सी०ई०पी०टी० विश्वविद्यालय, अहमदाबाद को नामांकन के आधार पर तकनीकी सहायता इकाई के रूप में चयन करने की स्वीकृति के संबंध में।

9. **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

10. पाटलिपुत्र (पटना) और तिरहुत (मुजफ्फरपुर) ग्रीनफील्ड सैटेलाईट टाउनशिप के कोर क्षेत्र को विस्तारित करने तथा पाटलिपुत्र (पटना), हरिहरनाथपुर (सोनपुर), मगध (गया जी) और तिरहुत (मुजफ्फरपुर) के कोर क्षेत्र एवं उसके बाहर विशेष क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, सेवाओं और संबद्ध संरचनाओं के विकास हेतु टाउन प्लानिंग स्कीम के अतिरिक्त आवश्यतानुसार भूमि क्रय/भूमि अधिग्रहण की स्वीकृति के संबंध में।

10. **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

11. राज्य के चार कॉरिडोर में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के निर्माण हेतु अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट (AAR) तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने पर होने वाले कुल अनुमानित व्यय ₹31.59 करोड़ (एकतीस करोड़ उनसठ लाख रू०) मात्र की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रतिवेदन तैयार करने के लिए बिहार वित्त (संशोधित) नियमावली, 2024 के नियम–131 ज्ञ(छ) के आलोक में नामांकन के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) को नामित करने के संबंध में।

11. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

12. भागलपुर जिलान्तर्गत गंगा नदी पर विक्रमशीला सेतु पर बेली ब्रिज निर्माण कार्य, नवीन सस्पेंडेड स्लैब निर्माण कार्य एवं सेतु के संपूर्ण भाग की मरम्मति एवं पुनर्स्थापन हेतु कुल 12625.55 लाख (एक सौ छब्बीस करोड़ पच्चीस लाख पचपन हजार) रूपये मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

12. **स्वीकृत।**

योजना एवं विकास विभाग

13. मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को अगले पाँच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2026–27 से 2030–31) तक विस्तारित करने तथा उक्त योजना के कार्यान्वयन पर वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्वयं सहायता भत्ता मद में कुल अनुमानित राशि 300.00 (तीन सौ) करोड़ रू० व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

13. **स्वीकृत।**

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

14. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) के दिशा–निर्देश/मापदण्ड एवं EoA (Extension of Approval) 2025–2026 के आधार पर विभागान्तर्गत कुल–10 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय में आवश्यक विभिन्न तकनीकी संकायों में P.G. (M.Tech) पाठ्यक्रमों के कुल–76 (छिहत्तर) शैक्षणिक पदों यथा– (प्राध्यापक–09, सह–प्राध्यापक–29 एवं सहायक प्राध्यापक –38) के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

15. राज्य के अभियंत्रण महाविद्यालयों में संचालित डिग्री अभियंत्रण प्रोग्राम के पाठ्यक्रम को परिणाम आधारित बनाने एवं प्रौद्योगिकी में अद्यतन प्रगति के अनुरूप विकसित करने हेतु परामर्श एवं प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (NITTTR), भोपाल को नामित करने एवं उक्त कार्य हेतु जी०एस०टी० सहित कुल रू० 1,75,23,000.00 (एक करोड़ पचहत्तर लाख तेईस हजार रूपये) मात्र बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, पटना द्वारा राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (NITTTR), भोपाल को विमुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में।

निर्वाचन विभाग

16. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक–23/ERO-AERO/HON//2025-ERS दिनांक–02.08.2025 के आलोक में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा निर्वाचक सूची के पुनरीक्षण एवं तैयारी में सहयोग एवं महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किये जाने के फलस्वरूप प्रत्येक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को वार्षिक मानदेय की राशि ₹30,000/–की दर से निर्धारित किये जाने पर राज्य में वर्तमान में कुल 243 निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के मानदेय भुगतान हेतु वार्षिक कुल ₹72,90,000/–(बहत्तर लाख नब्बे हजार) रूपये मात्र व्यय एवं भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।

निर्वाचन विभाग

17. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक–23/ERO-AERO/HON//2025-ERS दिनांक–02.08.2025 के आलोक में सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों द्वारा निर्वाचक सूची के पुनरीक्षण एवं तैयारी में सहयोग एवं महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किये जाने के फलस्वरूप प्रत्येक सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को वार्षिक मानदेय की राशि ₹25,000/–की दर से निर्धारित किये जाने पर राज्य में वर्तमान में कुल 1351 सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के मानदेय भुगतान हेतु वार्षिक कुल ₹3,37,75,000/–(तीन करोड़ सैंतीस लाख पचहत्तर हजार) रूपये मात्र व्यय एवं भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।

स्वास्थ्य विभाग

18. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), पटना के विस्तारीकरण के लिए मौजा–भुसौला दानापुर, थाना नं०–40 में रकवा 26.76 एकड़ का अधिग्रहण के लिए चिन्हित भूमि पर होने वाले व्यय की अनुमानित लागत रू० 3,48,89,98,270/–(रूपये तीन अरब अड़तालीस करोड़ नवासी लाख अट्ठानबे हजार दो सौ सत्तर) मात्र की वित्तीय वर्ष 2026–27 में योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

18. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

19. मधुबनी जिलान्तर्गत अंचल–लखनौर, मौजा–बेहट (अदलपुर), थाना सं०–238, खाता सं०–2466 (नया), खेसरा सं०–892 (नया) की कुल प्रस्तावित रकवा–05 एकड़ उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार को हस्तान्तरित भूमि पर नवीन केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु केन्द्रीय विद्यालय सगठन, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को एक रूपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

19. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

20. मुंगेर जिलान्तर्गत अंचल–मुंगेर सदर के मौजा–मय, थाना सं०–145 के विभिन्न खाता एवं खेसरा एवं मौजा–शंकरपुर, थाना सं०–146 के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल प्रस्तावित रकवा–05 एकड़ (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट–I) उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार को हस्तान्तरित भूमि पर नवीन केन्द्रीय विद्यालय, मुंगेर सदर के भवन निर्माण हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को एक रूपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

20. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

21. मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत अंचल–मुशहरी, मौजा–मुशहरी उर्फ राधा नगर, थाना सं०–475, खाता सं०–575, खेसरा सं०–557 की कुल प्रस्तावित रकवा–05 एकड़ गौशाला की भूमि पर नवीन केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को एक रूपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

21. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

22. मुंगेर जिलान्तर्गत सिंचाई प्रमण्डल लक्ष्मीपुर अधीन सिंघवारणी जलाशय योजना एवं इससे निकलने वाली उच्च स्तरीय मुख्य नहर (0 से 317 चेन तक) में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित अंचल–हवेली खड़गपुर, मौजा–रमनकाबाद, थाना सं०–382 के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल प्रस्तावित रकवा–39 एकड़ 58 डी० (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट–I) भूमि सिंघवारणी जलाशय योजना में प्रयुक्त होने वाले वन भूमि के अपयोजन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।

22. **स्वीकृत।**